प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2016**

विषय:- फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन के आंकडों का डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-एस.-16/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2016-17, दिनांक 06.4.2016, पत्रांक-कैम्प-11/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2016-17, दिनांक 13.4.2016, पत्रांक-एस.-163/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2016-17, दिनांक 06.5.2016, पत्रांक-एस.-476/2015-16, दिनांक 20.06.2016 एवं पत्रांक-एस.-कैम्प-195/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2016-17, दिनांक 27.07.2016 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन के आंकडों का डाटा बैंक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय हेतु निम्न विवरण के अनुसार कुल रू0-74958 हजार (रू0 सात करोड़ उन्चास लाख अट्ठावन हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रू. में)

लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान 2016-17	स्वीकृत की जा रही धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक	02-मजदरी	7000	7000
	07-मानदेय	7000	7000
	11-लेखन सामग्री और मुद्रण की छपाई	2300	2300
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के	48790	48790
	29-अनुरक्षण	500	500
	42-अन्य व्यय	4200	4200
	44-प्रशिक्षण व्यय	300	300
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3168	3168
	47-कम्प्यूटर अन./तत्संबंधी स्टेशनरी का	1700	1700
	योग	**74958**	**74958**

(रू0 सात करोड़ उन्चास लाख अट्ठावन हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1870/12-3-14-88/2004टी.सी., दिनांक14.8.2014 द्वारा अनुमोदित कार्य योजना तथा शासनादेश संख्या-1088/12-3-15-88/2004टी.सी., दिनांक 23.7.2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/ 2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

7- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का **Impact assessment** कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों के अनुसार किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को होगा।

9- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के ''लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-05-फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक योजनान्तर्गत'' उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस- 2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 द्वारा प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-84/2016/1153(1)/12-3-2016-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन,लखनऊ ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा) कृषि भवन,लखनऊ ।
8- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
10- कम्प्यूटर सहायक कृषि अनुभाग-3/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in